

51/11/80 3.20 PM

जिस्ट्री सं. डी. (डी.)-72

REGISTERED No. D. 11372



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY

B-1, v. 140-3201

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (1)  
PART II—Section 3—Sub-section (1)

PO — 800

KM — 20

TL — 40

प्रतिभार से प्रकाशित

R — 740

PUBLISHED BY AUTHORITY

1/11/80

संख्या 339] नई दिल्ली, बुधवार, अक्टूबर 30, 1980/कार्तिक 8, 1902  
No. 339] NEW DELHI, THURSDAY, OCTOBER 30, 1980/KARTIKA 8, 1902

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में  
रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate  
compilation

धर्म मंत्रालय

9/1/80

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 अक्टूबर, 1980

1/11/80

सा. का. नि. 613(अ).—केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि कर्मचारी भविष्य  
निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के अन्तर्गत  
हरीत की सार सत्य चूर्ण, हरीत की सार सत्य पिंड और वनस्पती टैनिन  
मिश्रित सारसत्त के विनिर्माण में लगे उद्योगों में नियोजित कर्मचारियों की बाबत  
एक भविष्य निधि स्कीम बनाई जानी चाहिए।

अतः, केन्द्रीय सरकार, कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध  
अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों  
879 GI/80 (1227)

Attested

विशेष अधिकारी

उप-सचिव, प्रकाशक विभाग,

सिडिआर कार्यालय, दिल्ली-56 21/11/80

का प्रयोग करते हुए, उक्त उद्योगों को 31 अक्टूबर, 1980 से उक्त अधिनियम की प्रथम अनुसूची में सम्मिलित करती है।

[सं. एस 35016(3)/80-पी एफ 2]

अ. पूनन, उपसचिव

MINISTRY OF LABOUR

NOTIFICATION


New Delhi, the 30th October, 1980

✓ G.S.R. 613(E).—Whereas the Central Government is of opinion that a provident fund scheme should be framed under the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), in respect of the employees of the industries engaged in the manufacture of Myrobalan Extract Powder, Myrobalan Extract Solid and Vegetable Tanin Blended Extract.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 4 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), the Central Government hereby adds with effect from the 31st October, 1980 the said industries to Schedule I to the said Act.

[S-35016(3)/80-PF-II]

A. POONEN, Dy. Secy.

Attested: 

अ. पूनन, उपसचिव  
विशेष सचिव, प्रकाशक विभाग,  
विशेष सचिव, दिल्ली-110054

21/11/80